संख्या-016/वीजीएल/021
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 01.06.2016

परिपत्र सं-06/06/16

विषय: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के संबंध में ।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति के लिए सक्षम प्राधिकारियों के पास लंबित आवेदनों की प्रगति की समीक्षा करने का अधिदेश आयोग को केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 (1) (च) के अंतर्गत प्राप्त है । इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो/अन्य अन्वेषणकर्ता एजेन्सियों से प्राप्त अभियोजन स्वीकृति के अनुरोध पर तत्काल तथा शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल देता रहा है । आयोग, समय-समय पर संबंधित सक्षम प्राधिकारियों को यह सलाह भी देता रहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृति के अनुरोधों पर कार्रवाई करने के लिए समय-सीमा का पालन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार पूरी भावना से करें ।

2. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आयोग के ध्यान में यह लाया गया है कि अभियोजन स्वीकृति ऐसे प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई थी जो इन्हें जारी करने के लिए सक्षम नहीं थे । न्यायालयों द्वारा अनेक मामले इस कारण निरस्त कर दिए गए थे । प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए ऐसे अनुचित स्वीकृति आदेश, अन्वेषण अधिकारी आदि द्वारा संचालित अन्वेषणों को क्षति पहुँचाते हैं तथा इसके परिणामत: कार्रवाई निरर्थक हो जाती है । भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19(1) के अंतर्गत, अभियोजन की स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी सामान्तया इस प्रकार होंगे क) केन्द्रीय सरकारी सेवक के मामले में, जो संघ के कार्यों के संबंध में नियोजित हैं तथा केन्द्रीय सरकार

द्वारा उनकों उनके पद से हटाया जा सकता है - केन्द्रीय सरकार ; ख) राज्य सरकार के सेवक के मामले में, जो राज्य के कार्यों के संबंध में नियोजित हैं तथा राज्य सरकार द्वारा उनको उनके पद से हटाया जा सकता है - राज्य सरकार ; ग) किसी अन्य लोक सेवक के मामले में - वह प्राधिकारी जो उनको उनके पद से हटाने में सक्षम हो ।

3. अत:, आयोग सभी प्रशासनिक प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह देता है कि अभियोजन के लिए स्वीकृति, दोषी/संदिग्ध लोक सेवक के उचित सक्षत प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी की जाए अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी के हस्ताक्षर से जारी की जाए जो सक्षम प्राधिकारी की ओर से हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम हो तथा इसका निर्णय समक्ष प्राधिकारी द्वारा लिया गया हो ताकि अभियोजन की स्वीकृति के मामलों में, स्वीकृति की वैधता पर प्रश्न करने वाले ऐसे मुद्दे बाद में ना उठें ।

ह0-
(जे.विनोद कुमार)
निदेशक

1. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।
2. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/संगठनों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष ।
3. मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/संगठनों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।